MOFPI

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आत्मनिर्भर भारत

"प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई)"

के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

पंजीकरण

हैंड-होल्डिंग सहायता

डीपीआर और एफयूपी

सब्सिडी के लिए आवेदन

बैंकिंग लिंकेज

टैक्नॉलोजीकल अपग्रेडेशन

एफपीओ/एसएचजी/
को-ऑपरेटिव्स को समर्थन

कॉमन फैसीलिटीज

ब्रांडिंग और बिक्री

वोकल फॉर लोकल

सत्यमेव जयते

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110049
वेबसाइट : www.mofpi.nic.in

1.0 पृष्ठभूमि	**4**
2.0 एक जिला एक उत्पाद	**5**
3.0 कार्यक्रम अवयव	**7**
4.0 निजी श्रेणी	**7**
5.0 समूह श्रेणी	**9**
6.0 कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्थन	**11**
7.0 ब्रांडिंग और बिक्री सहायता	**12**
8.0 क्षमता निर्माण और अनुसंधान	**13**
9.0 सांस्थानिक आर्किटैक्चर	**17**
10.0 अध्ययन और रिपोर्टें	**27**
11.0 पीआईपी	**27**
12.0 निधियों का वितरण	**29**
13.0 अनुदान के लिए बैंक की कार्रवाई	**30**
14.0 एमआईएस	**31**
15.0 विशेषज्ञ संस्थानों का पैनल बनाना	**32**
16.0 कन्वर्जेन्स संरचना	**32**

संक्षिप्त रूप एवं परिवर्णी शब्द

डीपीआर	डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट
डीएलसी	डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी
एफपीआई	फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
एफपीओ	फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन
एफयूपी	फर्म लेवल अपग्रेडेशन प्लान
जीओआई	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एफएमई	फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज
आईए	इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी
आईएमईसी	इंटर-मिनिस्टीरियल एमपॉवर्ड कमेटी
आईआईएफपीटी	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी
एमआईएस	मैनजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम
एमओएफपीआई	मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज
एमओयू	मेमोरेडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग
एमएसडीई	मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रीप्रिन्योरशिप
एमएसएमई	माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज
एनएबीआरडी	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
एनसीडीसी	नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
एनआईएफटीईएम	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टैक्नॉलोजी एंट्रीप्रिन्योरशिप एंड मैनेजमेंट
एनजीओ	नॉन – गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन्स
एनआरएलएम	नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन
ओडीओपी	वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
पीईसी	प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी
पीआईपी	प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान
पीएमयू	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट
पीएमकेएसवाई	प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना
पीएमयू	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट
आरएंडडी	रिसर्च एंड डेवलपमेंट
आरपी	रिसोर्स पर्सन
एससी	शिड्यूल कास्ट
एसटी	शिड्यूल ट्राइब
एसएचजी	शैल्फ हैल्प ग्रुप
सिडबी	स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
एसएलएसी	स्टेट लेवल अप्रूवल कमेटी
एसएनए	स्टेट नोडल एजेंसी
एसआरएलएम	स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन
टोओआर	टर्म्स ऑफ रेफेरेस
यूटी	यूनियन टैरीटरी

1.0 पृष्ठभूमि:

1.1 संक्षिप्त विवरण:

1.1.1 देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं जो गैर-पंजीकृत एवं अनौपचारिक हैं । प्लांट और मशीनरी में केवल 7% निवेश और 3% बकाया क्रेडिट के साथ असंगठित उद्यम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार में 74% (एक तिहाई महिलाएं), आउटपुट में 12% और मूल्यवर्धन में 27% का योगदान करता है । इनमें से लगभग 66% यूनिटें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति हैं और उनमें से लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम[1] हैं । इनमें से अधिकांश यूनिटें प्लांट और मशीनरी में अपने निवेश तथा टर्नओवर के अनुरूप सूक्ष्म निर्माण उद्योगों की श्रेणी में आती हैं ।

1.1.2 भारत में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ऐसे चुनौतियों का सामना करते हैं जो इनके विकास को सीमित करती हैं तथा प्रदर्शन को कमजोर करती हैं । इन चुनौतियों में शामिल हैं: (क) सीमित कौशलों के कारण उत्पादकता एवं नवप्रवर्तन तथा उत्पादन और पैकिंग के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी तक पहुंच का अभाव; (ख) अच्छी हाइजैनिक एवं विनिर्माण प्रथाओं के संबंध में मूल जागरुकता के अभाव सहित दोषपूर्ण गुणवत्ता एवं खाद्य संरक्षा नियंत्रण प्रणालियां; (ग) ब्रांडिंग और विपणन दक्षताओं का अभाव तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं इत्यादि के साथ एकीकरण की अक्षमता; (घ) पूंजी की कमी तथा कम बैंक क्रेडिट ।

1.1.3 असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कौशल ट्रेनिंग , उद्यमशीलता, प्रौद्योगिकी, क्रेडिट एवं विपणन, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए संघन हैंड-होल्डिंग सहायता की आवश्यकता है तथा बेहतर आउटरीच के लिए राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है । पिछले दशक में केंद्र और राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण संगठनों (एफपीओ) एवं महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में किसानों को संगठित करने के किए सघन प्रयास किए हैं । स्व-सहायता समूहों ने थ्रिप्ट में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की है और 97% एनपीए स्तर के साथ उनका पुनर्भुगतान रिकॉर्ड उत्तम रिकॉर्डों में से है । सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण-सह-विभिन्न निर्माण तथा सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों को चलाने के लिए एसएचजी को समर्थ बनाने के प्रयास किए हैं । फिर भी, कुछ ही सरकारी योजनाएं हैं जो एफपीओ और एसएचजी को सहायता देती हैं ताकि वे निवेश कर सकें और अपने प्रचालनों का अपस्केलन कर सकें ।

1.1.4 यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जो सूक्ष्म उद्यमों के सामने आ रहीं चुनौतियों का समाधान करने और इन उद्यमों के उन्नयन तथा फॉर्मलाइजेशन में सहायता देने के लिए समूहों तथा सहकारिताओं की क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार की गई है ।

[1] एनएसएसओ, 2015

1.2 लक्ष्य:

1.2.1 इस योजना के लक्ष्य है:

i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना और क्षेत्र के फॉर्मलाइजेशन को प्रोत्साहन देना; तथा

ii) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारिताओं को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सहायता देना ।

1.3 उद्देश्य:

1.3.1 योजना के उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता निर्माण करना है ताकि वे:

i) मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एफपीओज, स्व-सहायता समूहों एवं सहकारिताओं द्वारा क्रेडिट के लिए पहुंच क्षमता बढ़ाने में सक्षम हो;

ii) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत बनाकर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण कर सकें;

iii) मौजूदा 2,00,000 उद्यमों का औपचारिक फ्रेमवर्क में अंतरण करने के लिए सहायता दे सके;

iv) सांझा सेवाओं जैसे सांझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकिंग, विपणन और इन्क्यूवेशन सेवाओं तक पहुंच अधिक हो सके;

v) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संस्थानों का, अनुसंधान एवं ट्रेनिंग की मजबूती; और

vi) व्यावसायिक एवं तकनीकी सहायता के लिए उद्यमों के लिए पहुंच में वृद्धि ।

1.4 परिव्यय:

1.4.1 योजना में 2020-21 से 2024-25 तक की पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है । योजना के अंतर्गत व्यय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयीन राज्यों के बीच 90:10, विधान परिषदों युक्त संघ क्षेत्रों के साथ 60:40 के अनुपात में तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र द्वारा 100% वहन किया जाएगा ।

1.5 कवरेज:

1.5.1 योजना के अंतर्गत 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सीधे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता दी जाएगी । पर्याप्त सहायक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा संस्थागत आर्किटैक्चर को क्षेत्र की वृद्धि को तेज करने के लिए सहायता दी जाएगी ।

2.0 एक जिला एक उत्पाद:

2.1 इनपुट की प्राप्ति, सांझा सेवाओं की प्राप्त करने और उत्पादों के विपणन के अनुरूप बैनिफिट ऑफ स्केल का लाभ उठाने के लिए योजना में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाया गया है । योजना के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) मूल्य श्रृंखला विकास तथा सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर के मार्गरिखा/एलाइनमेंट हेतु फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी । एक जिले में एक से अधिक ओडीओपी उत्पाद हो सकते हैं तथा एक क्लस्टर का विस्तार एक से अधिक जिलों में हो सकता है ।

2.2 शीघ्र खराब होने वाली उपज ध्यान केंद्रित करने के योजना लक्ष्य को देखते हुए राज्य, एक जिले के लिए खाद्य उत्पाद निर्धारित करेंगे । राज्य सरकार द्वारा एक बेस-लाइन अध्ययन कराया जाएगा । ओडीओपी उत्पाद एक शीघ्र खराब होने वाली उपज, अनाज आधारित उत्पाद अथवा एक जिले में एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपजाया जाने वाला खाद्य उत्पाद हो सकता है । उदाहरण के तौर पर आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्यिकी, पॉल्ट्री, मांस तथा पशु आहार । इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत अपशिष्ट से मूल्यवान उत्पादों सहित कुछ अन्य पारंपरिक एवं अभिनव उत्पादों को सहायता दी जा सकती है । उदाहरण के लिए शहद, जनजातीय क्षेत्रों में लघु वन उपज, पारंपरिक भारतीय हर्बल खाद्य पदार्थ जैसे कि हल्दी, आंवला आदि । कृषि उपज के लिए सहायता कम अपव्यय, उचित परख तथा भंडारण एवं विपणन के प्रयासों के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण के लिए होगी ।

2.3 पूंजी निवेश के लिए मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देने के संबंध में ओडीओपी उत्पादों का उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी । परंतु, अन्य उत्पादों को उत्पादन करने वाली मौजूदा उद्योगों को भी सहायता दी जाएगी । समूहों प्रभावी रूप से ओडीओपी उत्पादों में शामिल समूहों द्वारा पूंजी निवेश के मामले में सहायता दी जाएगी ।

2.4 ऐसे जिलों में अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले समूहों को सहायता केवल उनके लिए ही दी जाएगी जो उन उत्पादों का पहले से प्रसंस्करण कर रहे हैं और जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय एवं उद्यमी क्षमता है ।

2.5 नए उद्यम चाहे वे निजी के लिए हों या समूहों के लिए को सहायता केवल ओडीओपी उत्पादों के लिए ही दी जाएगी ।

2.6 कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं विपणन तथा ब्रांडिंग के लिए सहायता ओडीओपी उत्पादों के लिए ही होगी । राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता के मामले में जिलों के समान उत्पादों को भी जिनमें वही उत्पाद ओडीओपी के रूप में नहीं हैं, शामिल किया जा सकता है ।

2.7 वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत निर्यातों के लिए सहायता हेतु क्लस्टर दृष्टिकोण पर कृषि फसलों पर फोकस कर रहा है और कृषि मंत्रालय भी तुलनात्मक लाभ वाले जिलों में विशिष्ट कृषि उपज के विकास के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर फोकस कर रहा है । अनेक राज्यों ने इसी प्रकार क्लस्टर आधारित विकास अपनाया है । योजना का ओडीओपी दृष्टिकोण सांझा सुविधाओं एवं अन्य सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने में आसान साबित होगा ।

3.0 कार्यक्रम अवयव:

3.1 क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यक्रम के चार व्यापक अवयव हैं:

(i) निजी एवं समूह सूक्ष्म उद्यमों को सहायता;

(ii) ब्रांडिंग और विपणन सहायता;

(iii) संस्थान सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता;

(iv) मजबूत परियोजना प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना ।

3.2 इनमें से प्रत्येक अवयव का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

4.0 निजी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:

4.1 निजी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रति उद्योग पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी परंतु अधिकतम 10.0 लाख रुपए दिए जाएंगे । लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए ।

4.2 योजना के अंतर्गत निजी सूक्ष्म उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड:

(i) प्रचालनरत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें;

(ii) मौजूदा उद्योग ओडीओपी उत्पादों के लिए एसएलयूपी में चिह्नित की हुई होनी चाहिए अथवा भौतिक समर्थन के आधार रिसोर्स पर्सन द्वारा सत्यापित की गई होनी चाहिए ।

(iii) बिजली का उपयोग करने वाले उद्योगों के मामले में बिजली बिल उनके प्रचालन में होने का समर्थन करेंगे । अन्य उद्योगों के लिए विद्यमान प्रचालन, सूची, मशीनें एवं सेल्स आधार का काम करेंगी ।

(iv) उद्यम अनिगमित होना चाहिए और उसमें 10 से कम श्रमिक होने चाहिए;

(v) बेहतर होगा कि उद्यम जिले के ओडीओपी में चिह्नित किए गए उत्पाद के उत्पादन में लगा हुआ होना चाहिए । अन्य सूक्ष्म उद्यमों पर भी विचार किया जा सकता है;

(vi) आवेदक के पास उद्यम के स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए;

(vii) उद्यम के स्वामित्व की स्थिति स्वामित्व/भागीदार फर्म हो सकती है;

(viii) आवेदक 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए और कम से कम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो;

(ix) एक परिवार से केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा । इस प्रयोजन के लिए "परिवार" में स्वयं, पत्नी या पति और बच्चे शामिल होंगे;

(x) फॉर्मलाइजेशन का इच्छुक हो और परियोजना लागत के 10% का योगदान दें तथा बैंक ऋण प्राप्त करे;

(xi) भूमि की लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं की जानी चाहिए । तैयार बने हुए की लागत तथा लंबी पट्टावधि अथवा किराए पर वर्कशेड को परियोजना लागत में शामिल में किया जा

सकता है । वर्कशेड का पट्टा किराया परियोजना लागत में शामिल किया जाए जो केवल अधिकतम तीन वर्ष के लिए हो ।

4.3 निजी सूक्ष्म उद्यमों के लिए चयन प्रक्रिया:

4.3.1 सहायता दिए जाने हेतु मौजूदा उद्योगों को चिह्नित करने की प्रक्रिया दोमुखी होगी । एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण पर आधारित सहायता देने में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो जिल में उस उत्पाद में शामिल हों । अन्य उद्योगों जिनमें क्षमता हो, सहायता प्राप्त कर सकती हैं ।

4.3.2 आवेदन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से उद्यमों के लिए ऑनगोंइग आधार पर जिला स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे । स्रोत व्यक्ति विभिन्न क्लस्टरों का सर्वेक्षण करेंगे और उन उद्योगों की पहचान करेंगे जिनमें योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की क्षमता हो । सीधे प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए स्रोत व्यक्ति क्षेत्र जांच करेंगे और उनकी क्षमता का आकलन करने में पर्याप्त सावधनी बरतेगे ।

4.3.3 स्रोत व्यक्तियों द्वारा सीधे चिह्नित उद्योगों के आधार पर सभी संभावित मामले एवं प्राप्त हुए आवेदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे । जिला स्तरीय समिति प्रत्येक उद्योग के लिए स्रोत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और इच्छुक व्यक्तियों का सक्षात्कार लेगा ।

4.3.4 प्रत्येक उद्योग के लिए स्रोत व्यक्ति द्वारा किए गए उचित मूल्यांकन में निम्नलिखित का ब्यौरा होना चाहिए:

(क) उद्यम का वार्षिक टर्नओवर;
(ख)उद्यम द्वारा भुगतानों का ट्रैक रिकॉर्ड;
(ग) मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर;
(घ) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज;
(ङ) क्लस्टरों से निकटता;
(च) उद्यम के विपणन लिंकेज ।

4.3.5 जिला स्तरीय समिति/एसएनए द्वारा संस्तुत किए गए मामलों में स्रोत व्यक्तियों को उद्योग के उन्नयन के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु डीपीआर की तैयारी में उनकी सहायता करनी चाहिए । आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीपीआर ऋण मंजूरी हेतु बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

4.4 ऊपर वर्णित प्रक्रिया नए उद्योगों के चयन के लिए भी लागू होगी, बशर्तें कि ओडीओपी बेस-लाइन अध्ययन इस प्रकार के नए निवेशों के लिए आवश्यता/क्षमता दर्शाए ।

4.5 राज्य सरकारों को यह निश्चित करना चाहिए कि वे किस स्तर पर डीएलसी अथवा एसएनए के स्तर पर सहायता दिए जाने हेतु निजी सूक्ष्म उद्योगों की सूची को अंतिम रूप देना चाहेंगे । इसी प्रकार, समूहों द्वारा पूंजी निवेश, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं विपणन तथा ब्रांडिंग के लिए आवेदनों हेतु राज्य आवेदनों को भेजने में डीएलसी/एसएनए की भूमिका निर्धारित करें ।

5.0 समूह श्रेणी:

5.1 योजना छंटाई, ग्रेडिंग, जांच, भंडारण, कॉमन प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन, कृषि-उपज का प्रसंस्करण और परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए क्लस्टरों और समूहों जैसे एफपीओ/एसएचजी/ उत्पादक समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को भी सहायता देगी ।

5.2 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/उत्पाद सहकारिताएं:

5.2.1 एफपीओ और उत्पादक सहकारिताओं को निम्नलिखित सहायता दी जाएगी:

(i) क्रेडिट लिंकेज के साथ 35% की दर से अनुदान;
(ii) ट्रेनिंग सहायता;
(iii) इस प्रकार के मामलों में अनुदान की अधिकतम सीमा यथा-निर्धारण अनुसार होगी ।

5.2.2 सहकारिताओं/एफपीओ के लिए पात्रता मानदंड:

(i) बेहतर हो यदि यह ओडीओपी उपज के प्रसंस्करण में लगी हो;
(ii) इसका न्यूनतम टर्नओवर 1 करोड़ रुपए होना चाहिए;
(iii) प्रस्तावित परियोजना की लागत वर्तमान टर्नओवर से अधिक नहीं होनी चाहिए;
(iv) सदस्यों को उत्पाद से निपटने की पर्याप्त जानकारी और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
(v) सहकारिता/एफपीओ के पास पर्याप्त यांत्रित संसाधन अथवा राज्य सरकार की मंजूरी होनी चाहिए ताकि वह वर्किंग कैपिटल के लिए परियोजना लागत का 10% और मार्जिन मनी पूरी कर सकें ।

5.3 स्व-सहायता समूह (एसएचजी):

5.3.1 अनेक एसएचजी खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलाप चला रहे हैं । योजना में एसएचजी को निम्नलिखित सहायता देने का प्रस्ताव है:

5.3.2 प्रारंभिक पूंजी:

(i) योजना के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों की खरीद के लिए एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को 40,000/-रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी;
(ii) प्रारंभिक पूंजी देने में ओडीओपी उपज में शामिल एसएचजी को प्राथमिकता दी जाएगी;

(iii) किसी एसएचजी के सभी सदस्य खाद्य प्रसंस्करण में शामिल नहीं हो सकते हैं । इसलिए, प्रारंभिक पूंजी एसएचजी के संघ के स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी;

(iv) यह एसएनए/एसआरएलएम द्वारा एसएचजी फैडरेशन को अनुदान के रूप में दी जाएगी । एसएचजी संघ यह राशि एसएचजी के सदस्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसका एसएचजी पुनर्भुगतान किया जा सके ।

5.3.3 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की एक उद्योग के रूप में निजी एसएचजी सदस्य को अधिकतम राशि 10 लाख रुपए की सहायता ।

5.3.4 एसएचजी स्तर के फैडरेशन में पूंजी निवेश हेतु सहायता जिसमें क्रेडिट लिंक्ड अनुदान 35% की दर पर होगा । ऐसे मामलों में अनुदान की अधिकतम राशि निर्धारण किए अनुसार होगी ।

5.3.5 एसएचजी को ट्रेनिंग तथा हैंड-होल्डिंग सहायता: एसएचजी को सहायता देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित स्रोत व्यक्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम्स) में उपलब्ध हैं । कृषि उपज में विशेषज्ञता रखने वाले एसआरएलएम के इन स्थानीय स्रोत व्यक्तियों को ट्रेनिंग **,** उद्योगों के उन्नयन**,** डीपीआर की तैयारी**,** हैंड-होल्डिंग सहायता इत्यादि के लिए उपयोग किया जाएगा ।

5.3.6 एसएचजी के लिए प्रारंभिक पूंजी हेतु पात्रता मानदंड:

(i) वर्तमान में केवल खाद्य प्रसंस्करण में नियोजित एसएचजी के सदस्य ही पात्र होंगे**;**

(ii) एसएचजी सदस्य को वर्किंग कैपिटल एवं छोटे औजारों की खरीद के लिए इस राशि का उपयोग करने का वचन देना पड़ता है और इस संबंध में एसएचजी तथा एसएचजी फैडरेशन के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है**;**

(iii) प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराने से पहले एसएचजी फैडरेशन को प्रत्येक सदस्य के बारे में निम्नलिखित मूल सूचना एकत्र करनी चाहिए:

(क) प्रसंस्कृत किए जा रहे उत्पाद का ब्यौरा**;**

(ख) चलाए जा रहे अन्य कार्यकलाप**;**

(ग) वार्षिक टर्नओवन**;**

(घ) कच्ची सामग्री का स्रोत और उपज का विपणन

5.3.7 एसएचजी के लिए पूंजी निवेश हेतु क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान के पात्रता मानदंड:

(i) एसएचजी के पास परियोजना लागत का 10% और वर्किंग कैपिटल के लिए 20% मार्जिन मनी को पूरा करने के लिए पर्याप्त निजी निधियां अथवा राज्य सरकार से अनुदान के रूप में इसकी स्वीकृति होनी चाहिए **;**

(ii) एसएचजी सदस्यों को ओडीओपी उत्पाद के प्रसंस्करण का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

6.0 कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता:

6.1 कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता एफपीओ, एससएचजी, सहकारिताओं, किसी सरकारी एजेंसी अथवा निजी उद्यम को दी जाएगी । योजना के अंतर्गत सृजित कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्य उद्योगों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगी ताकि क्षमता के महत्वपूर्ण भाग के रूप में किराये के आधार पर उपयोग में लाई जा सके । इस श्रेणी के अंतर्गत परियोजना की पात्रता किसानों और मुख्य रूप से उद्योग को लाभ, वैलिडिटी गैप, निजी निवेश के अभाव, मूल्य श्रृंखला के लिए महत्ता के आधार पर निश्चित की जाएगी । ऐसे मामलों में निर्धारण किए अनुसार क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान अधिकतम 35% की दर तक उपलब्ध होगा ।

6.2 योजना के अंतर्गत फंडिड की जाने वाली कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रकार: निम्नलिखित कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर को योजना के अंतर्गत वित्त उपलब्ध कराया जाएगा:-

(i) कृषि उपज की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग, खेत पर गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज के लिए परिसर;

(ii) ओडीओपी उपज के प्रसंस्करण हेतु कॉमन प्रसंस्करण सुविधा;

(iii) **इन्क्यूबेशन सेंटर** में एक या अधिक उत्पाद प्रणालियां शामिल होनी चाहिए जो छोटे उद्योगों द्वारा अपनी उपजों के प्रसंस्करण के लिए किराए के आधार पर उपयोग की जा सकें । इन्क्यूबेशन सेंटर आंशिक रूप से ट्रेनिंग के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है । यह व्यावसायिक आधार पर संचालित किया जाना चाहिए ।

6.3 एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पूंजी निवेश के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए समूहों हेतु प्रक्रिया:-

6.3.1 योजना के अंतर्गत एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पूंजी निवेश हेतु वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए:-

(i) पूंजी निवेश तथा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु डीपीआर यथा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार की जानी चाहिए;

(ii) डीपीआर में प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना लागत, प्रस्तावित मैन पॉवर, टर्नओवर, विपणन चैनल, कच्ची सामग्री के स्रोतों, अनुमानित लाभ एवं हानि का ब्यौरा, नकदी प्रवाह विवरण इत्यादि का आवश्यक विवरण होना चाहिए;

(iii) डीपीआर राज्य नोडल एजेंसी को भेजी जानी चाहिए । एसएलएसी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात एनएनए को प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संस्तुत करना चाहिए । 10 लाख रुपए से अधिक के अनुदान हेतु समूह को सहायता का कोई भी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए;

(iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्थान को भेजा जाना चाहिए;

(v) डीपीआर में यथा प्रस्तावित तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के लागत मानदंडों के अनुसार ट्रेनिंग घंटों और मॉड्यूलों के आधार पर समूह के सदस्यों को ट्रेनिंग सहायता के

लिए भी प्रस्ताव होना चाहिए । ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के अवयव को योजना के अंतर्गत पूरा वित्त उपलब्ध कराया जाएगा;

(vi) डीपीआर तैयार करने के लिए एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं को 50,000 रुपए प्रति मामले उपलब्ध कराए जाएंगे;

(vii) बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी दिए जाने के पश्चात अनुदान का वितरण आवेदक संगठन के बैंक खाते में होना चाहिए ।

7.0 ब्रांडिंग और विपणन सहायता:

7.1 योजना के अंतर्गत विपणन और ब्रांडिंग सहायता एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं के समूहों अथवा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को दी जाएगी । ओडीओपी दृष्टिकोण अपनाने के पश्चात विपणन और ब्रांडिंग सहायता राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर ऐसे उत्पादों के लिए ही दी जाएगी ।

7.2 सहायता के लिए पात्र मदें:-

(क) विपणन संबंधी ट्रेनिंग के लिए योजना के अंतर्गत पूरा वित्त उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) सांझा पैकेजिंग में भाग लेने के लिए मानकीकरण सहित सांझा ब्रांड और पैकेजिंग का विकास करना;

(ग) राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रिटेल चेन और राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ विपणन तालमेल;

(घ) अपेक्षित मानदंडो का पूरा करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण ।

7.3 विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए सहायता हेतु सांझा ब्रांड, सांझा पैकिंग और उत्पाद स्टैंडर्डाईजेशन का विकास करना अपेक्षित होता है । सांझा ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए उपयुक्त स्तर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मामले से दूसरे मामले और एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद के लिए भिन्न-भिन्न होगा । यह स्तर जिला, क्षेत्र अथवा राज्य का हो प्रत्येक मामले में संबंधित एसएनए द्वारा निर्धारित किया जाएगा । इसलिए, विपणन एवं ब्रांडिंग को सहायता हेतु प्रस्ताव एसएनए द्वारा तैयार किया जाना चाहिए । ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता कुल व्यय की 50% तक सीमित होगी । ऐसे मामलों में अनुदान की अधिकतम सीमा किए गए निर्धारण के अनुसार होगी । योजना के अंतर्गत रिटेल आउटलेट खोलने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी ।

7.4 राष्ट्र स्तर पर वर्टिकल उत्पादों को ऊपर ओडीओपी फोकस के लिए दिए गए विवरण की भांति ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता दी जा सकती है । सांझा ब्रांडिंग/पैकेजिंग तथा विपणन के लिए इस प्रकार की सहायता राष्ट्र स्तर पर दी जाएगी । उस सहायता के लिए प्रस्ताव राज्यों अथवा राष्ट्र स्तरीय संस्थानों या संगठनों या साझीदार संस्थानों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए ।

7.5 पात्रता मानदंड:

7.5.1 प्रस्तावों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिए:-

(i) प्रस्ताव ओडीओपी से संबंधिति होने चाहिए;

(ii) सहायता के लिए पात्र बनने हेतु उत्पाद का न्यूनतम टर्नओवर 5 करोड़ रुपए होना चाहिए;

(iii) अंतिम उत्पाद वह होना चाहिए जो रिटेल पैक में उपभोक्ता को बेचा जाए;

(iv) बड़ी संख्या में उत्पादकों को एक साथ लाने के लिए उत्पादक को एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता/क्षेत्र-राज्य स्तर पर एसपीवी होना चाहिए;

(v) उत्पाद और उत्पादक बड़े स्तरों पर मापनीय होने चाहिए;

(vi) प्रबंधन और संस्था को प्रोत्साहित करने की उद्यमशीलता क्षमता प्रस्ताव में प्रमाणित की जानी चाहिए ।

7.6 ब्रांडिंग और विपणन के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:

7.6.1 डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना:

(i) प्रस्ताव के लिए डीपीआर तैयार की जानी चाहिए जिसमें परियोजना, उत्पाद, रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण, उपज के एकीकरण, सांझा पैकिंग और ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण नीति, प्रोत्साहन संबंधी ब्यौरे, गोदाम और स्टोरेज, विपणन माध्यम, बिक्री में वृद्धि की योजनाओं इत्यादि का अनिवार्य ब्यौरा शामिल है;

(ii) विपणन और ब्रांडिंग के लिए प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करने के लिए एसएनए से 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध होगी;

(iii) प्रस्ताव में कच्ची सामग्री की खरीद से लेकर विपणन के कार्यकलापों, महत्वपूर्ण कंट्रोल प्वाइंट्स , गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना, प्रोत्साहन कार्यकलापों के अनुरूप 5 वर्षों के लिए योजनाओं, भागीदार उत्पादकों की बढ़ती हुई संख्या और टर्नओवर का भी अनुक्रम चार्ट होना चाहिए ।

7.6.2 सहकारिताओं/एसएचजी/एफपीओ/एसपीवी, अग्रणी खरीदकर्ता, यदि कोई हो और एसएनए के बीच निष्पादित कार्य योजना के साथ अनुबंध होना चाहिए जो उत्पादकों की पूंजी तथा सेवा आवश्यकताओं और प्रस्तावित सुधारों का उल्लेख करेगा जिससे वे अपनी उत्पादन और कौशल क्षमताओं को उन्नत कर सकेंगे जिससे बाजार अर्थात अग्रणी क्रेताओं के साथ उनके संबंध मजबूत होंगे ।

8.0 क्षमता निर्माण और अनुसंधान:

8.1 राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:

8.1.1 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के तकनीकी उन्नयन और फॉर्मलाइजेशन में क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण अवयव है । राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान

(निफ्टेम) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) क्षमता निर्माण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे । वे अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगे । निफ्टेम और आईआईएफपीटी राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर चयनित उद्यमों/समूहों/क्लस्टरों को ट्रेनिंग एवं अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराएंगे। आईसीएआर, सीएसआईआर के अंतर्गत राष्ट्र स्तरीय उत्पाद विशिष्ट संस्थान या डीएफआरएल और सीएफटीआरआई जैसे अग्रणी संस्थान ट्रेनिंग और अनुसंधान के लिए पूरे देश में वर्टिकल सहायता उपलब्ध कराने के लिए साझीदार संस्थान होंगे ।

8.1.2 निफ्टेम और आईआईएफपीटी निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित करेंगे:-

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य और जिला कार्मिकों की क्षमता निर्माण तथा ट्रेनिंग ;

(ii) पाठ्यक्रम एवं ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित करना और सूक्ष्म उद्यमों तथा समूहों को आगे ट्रेनिंग देने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ साझीदारी करना;

(iii) प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देना;

(iv) ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करना;

(v) सूक्ष्म उद्योगों के लिए प्रजातीय उत्पादों हेतु मानक विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना;

(vi) प्रजातीय सूक्ष्म उद्योगों के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी शैल्फ/मशीनों का विकास करना;

(vii) उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए अन्य अनुसंधान एवं ट्रेनिंग संस्थानों के साथ भागीदारी करना;

(viii) योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को मजबूत बनाना ।

8.1.3 निफ्टेम और आईआईएफपीटी यथा निर्धारित संरचना के साथ योजना के लिए अपने संगठन में पीएमयू की स्थापना करेंगे । इन पीएमयूज के लिए वे कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियोजि करेंगे । इन पीएमयूज व्यय को पूरा करने के लिए निफ्टेम और आईआईएफपीटी को योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा ।

8.1.4 निफ्टेम और आईआईएफपीटी को बजट के साथ उन कार्यकलापों के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) तैयार करनी चाहिए जिन्हें वे चलाने का प्रस्ताव करते हैं और उसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजना चाहिए । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान समिति प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) की जांच करेगी और उनके लिए आईमैक का अनुमोदन प्राप्त करेगी । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) में अनुमोदित किए गए कार्यकलापों के लिए निफ्टेम और आईआईएफपीटी को योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्ध कराएगा ।

8.2 राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को सहायता:

8.2.1 राज्य सरकार को योजना के लिए एक राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान मनोनीत करनी चाहिए । उनके कार्यकलापों में शामिल होंगे:-

(i) राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) तैयार करना;
(ii) क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान से संबंधित एसएनए द्वारा तैयार की जा रही पीआईपी को इनपुट उपलब्ध कराना;
(iii) राज्य और जिला कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण तथा ट्रेनिंग संचालित करना;
(iv) जिला रिसोर्स पर्सन्स के लिए ट्रेनिंग चलाना;
(v) एसएनए द्वारा तैयार की जा रही ब्रांडिंग और विपणन योजनाओं के लिए इनपुट उपलब्ध कराना;
(vi) हैंड-होल्डिंग सूक्ष्म उद्यमों, डीपीआर की तैयारी इत्यादि के लिए जिला रिसोर्स पर्सन्स को मॉनिटरिंग सहायता देना;

8.2.2 नामित किए गए राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान को निफ्टेम और आईआईएफपीटी के परामर्श से राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के अनुमोदन के पश्चात प्रस्तावित कार्यकलापों के लिए वार्षिक ट्रेनिंग कलैण्डर सहित पीआईपी तैयार करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजनी चाहिए ।

8.2.3 राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान के चयन हेतु मानदंड: राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में शामिल मौजूदा संस्थान होना चाहिए । यह संस्थान निम्न हो सकता है:

(i) राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज एवं संस्थान;
(ii) राज्य के स्वामित्व में खाद्य प्रसंस्करण एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान;
(iii) खाद्य प्रसंस्करण पर फोकस करने वाली सीएसआईआर के अधीन कोई संस्थान अथवा भारत सरकार का कोई संस्थान;
(iv) यदि यह कॉलेज हो तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में अंडरग्रेजुऐट/पोस्ट ग्रेजुऐट पाठ्यक्रम तथा आवश्कय फैकल्टी होनी चाहिए;
(v) संस्थान में आवश्यक परीक्षण एवं प्रसंस्करण उपकरणों के साथ पूर्ण प्रयोगशाला होनी चाहिए;
(vi) संस्थान में अनुसंधान कार्य करने और उत्पाद विकास के लिए फैकल्टी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विशेष रूप से, एमएसएमईज के लिए मशीनरी होनी चाहिए;
(vii) प्रस्ताव की राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए;
(viii) संस्थान को नोडल अधिकारी तथा योजना पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने वाले कम से कम दो सदस्यों से बनी एक समर्पित टीम नियुक्त करने का इच्छुक होना चाहिए;
(ix) संस्थान के पास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए ट्रेनिंग चलाने के लिए पर्याप्त निर्मित स्थान होना चाहिए;
लि बेहतर हो यदि संस्थान के पास राज्य के लिए ओडीओपी के अंतर्गत कुछ उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए पाइलट प्लांट हों ।

8.3 व्यक्तियों/समूहों को ट्रेनिंग सहायता:

8.3.1 ट्रेनिंग सहायता उन व्यक्तिगत उद्योगों और समूहों को दी जाएगी जिन्हें पूंजी निवेश के लिए सहायता दी जा रही है । इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग सहायता उन जिलों में अन्य मौजूदा उद्योगों और समूहों को भी दी जाएगी जो ओडीओपी उत्पादों का प्रसंस्करण कर रहे हैं । योजना के अंतर्गत जिन समूहों को विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता दी जा रही है उन्हें ट्रेनिंग सहायता भी दी जाएगी ।

8.3.2 ट्रेनिंग पर खर्च किए जाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने प्रति घण्टे की दर निर्धारित की है । योजना के लिए यही बैंच मार्क दर उपयोग की जाएगी । ट्रेनिंग का प्रकार और घण्टों की संख्या को निर्धारित मानदंड का अनुसरण करना चाहिए ।

8.3.3 योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु निम्नलिखित फोकस क्षेत्र हैं:-

(i) उद्यमशीलता विकास, उद्यम प्रचालनों के महत्वपूर्ण कार्य, विपणन, खाताबही, पंजीकरण, एफएसएसएआई मानक, उद्योग आधार, जीएसटी पंजीकरण, सांझा हाईजीन इत्यादि;

(ii) ओडीओपी उत्पादों अथवा आवश्यक मशीनों, हाईजीन समस्याओं, पैकेजिंग, स्टोरेज, खरीद, नए उत्पाद विकास इत्यादि सहित उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए तैयार किया गया विशेष ट्रेनिंग ।

8.3.4 ट्रेनिंग मोड:

i. ऑनलाइन मॉड्यूल सभी उद्योगों के लिए लागू सांझा ट्रेनिंग के लिए उपयोग किए जाएंगे;
ii. यथासंभव आरएसईटीआई भौतिक अवसंरचना प्रयोग करते हुए ओडीओपी के लिए जिलों को उत्पाद विशिष्ट ट्रेनिंग दी जाएगी;
iii. जिले के भीतर ऑडियो-विजुअल सहायता उपयोग करके साप्ताहिक आधार पर ट्रेनिंग लघु मॉड्यूलों में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि विद्यमान व्यावसायिक प्रचालनों को बाधा कम से कम हो;
iv. ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण अवयव मशीनों पर कार्य करना होगा जिन्हें उद्योग खरीदने जा रहे हैं और हाईजीन तथा पैकेजिंग के बारे में ट्रेनिंग देंगी; इसलिए, अल्पकाल के लिए ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अवयव जिले के भीतर अथवा बाहर उन मशीनों का प्रयोग करके मौजूदा उद्योगों में ऐसे लाभार्थियों के लिए शुरू किया जा रहा है ।

8.3.5 हैंड-होल्डिंग सहायता: योजना में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को हैंड-होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला/क्षेत्र स्तर पर रिसोर्स पर्सन्स नियुक्त करने की परिकल्पना की गई है । ये रिर्सास पर्सन्स निम्नलिखित कार्य करेंगे:-

(i) हैंड-होल्डिंग सूक्ष्म उद्यम की डीपीआर तैयार करना, बैंक ऋण प्राप्त करना, ट्रेनिंग देना, उद्योग का उन्नयन करना, अनिवार्य विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना, हाईजीन इत्यादि;

(ii) पीआईपी, ओडीओपी, क्लस्टर अध्ययन तथा अध्ययन ग्रुपों के लिए इनपुट उपलब्ध कराना;

(iii) व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों और समूहों तथा सांझा सुविधाओं के लिए सब्सिडी एवं प्रारंभिक पूंजी के लिए आवेदनों की पहचान और सुविधा ।

9. संस्थागत आर्किटेक्चर :

9.1 योजना के लिए सभी प्रशासनिक स्तरों पर मजबूत संस्थागत आर्किटेक्चर तैयार की जाएगी । योजना का कार्यान्वयन करने और प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए राष्ट्र, राज्य और जिला स्तरों (नीति मार्गदर्शन हेतु) पर समिति होगी । ये समितियां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और राज्य नोडल एजेंसियों के स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभाग के निष्पादन की निगरानी करेंगी । इनके अलावा, पीएमयू सैटप होंगे जिनमें परामर्शदाता शामिल होंगे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और राज्य नोडल एजेंसियों के स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभाग को पूर्णकालिक सहायता देने के आधार पर विशेषज्ञ नियोजित किए जाएंगे । संस्थागत संरचना नीचे चार्ट में दर्शाई गई है और उसका खंड में वर्णन किया गया है:-

चित्र 1: संस्थागत आर्किटेक्चर

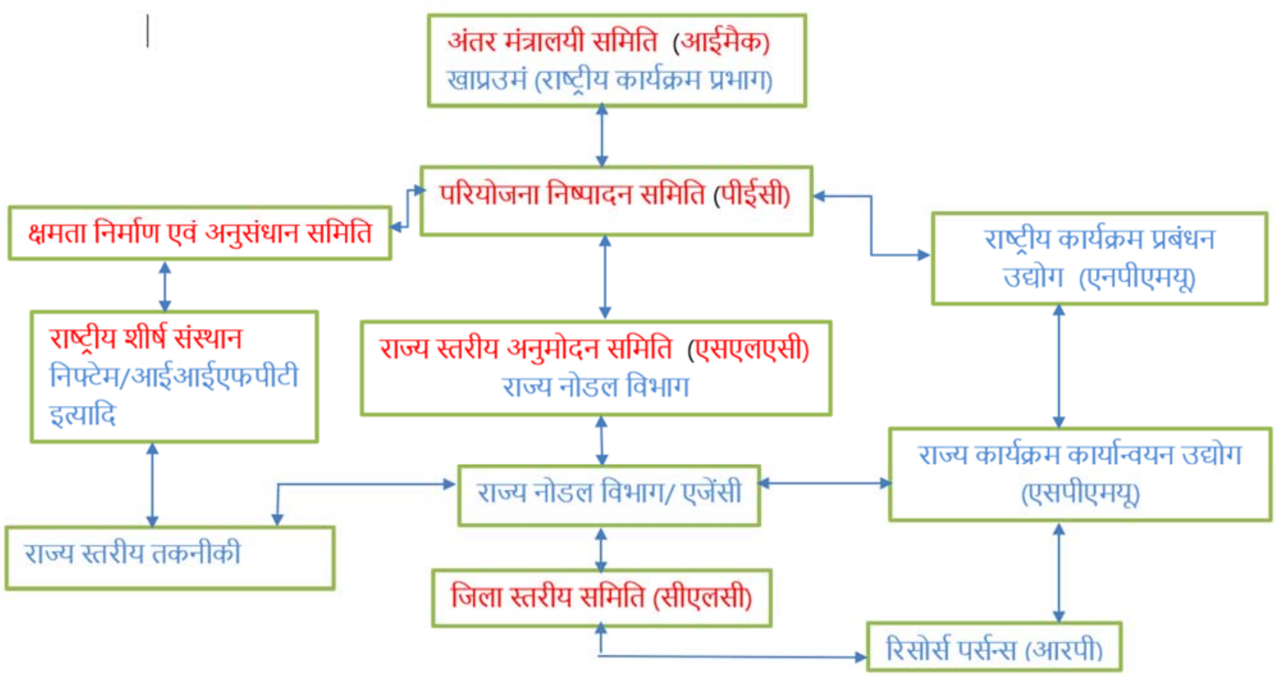

9.2 राष्ट्र स्तरीय अवसंरचना:

9.2.1 अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति:

9.2.1.1 राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति होगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:-

सारणी 1: आईएमईसी का संरचना

क्र.सं.	गठन	पदनाम
1.	माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
2.	माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4.	सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार	सदस्य
5.	सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार	सदस्य
6.	सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार	सदस्य
7.	सचिव, मत्स्यिकी विभाग, भारत सरकार	सदस्य
8.	सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, भारत सरकार	सदस्य
9.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
10.	सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
12.	चेयरमैन, एफएसएसएआई	सदस्य
13.	चयेरमैन, एनएसडीसी	सदस्य
14.	नाबार्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
15.	एएस एंड एफए, खाप्रउमं	सदस्य
16.	नीति आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
17.	मिशन निदेशक (अपर/संयुक्त सचिव और उससे ऊपर रैंक का अधिकारी), खाप्रउमं	सदस्य सचिव

9.2.1.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आईएमईसी, पीईसी और क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान समिति में किसी भी सदस्य को मनोनीत कर सकता है । आईएमईसी तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी और नीति बनाने वाली निकाय होगी जो योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए समग्र निर्देशन और मार्गदर्शन करेगी तथा इसकी प्रगति एवं निष्पादन की समीक्षा करेगी ।

9.2.1.3 आईएमईसी के कार्य होंगे:

(i) निम्नलिखित का अनुमोदन:

(क) योजना के दिशानिर्देश**;**

(ख) एसएलएसी से उचित अनुमोदन के पश्चात राज्यों द्वारा प्रस्ततु की जा रहीं पीआईपीज;
(ग) विशेषज्ञ संस्थानों को पैनलबद्ध करना;
(घ) 10 लाख रुपए से अधिक के आकार वाली परियोजना के सभी प्रस्तावों का अनुमोदन;
(ड.) क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए पीआईपी;

(ii) निम्नलिखित की समीक्षा:
(क) पीआईपी इम्प्लीमेंटेशन;
(ख) विभिन्न अध्ययन;
(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और राज्य एजेंसियों के क्षमता निर्माण कार्यकलाप
(घ) कौशलों संबंधी ट्रेनिंग एवं उद्यमों तथा समूहों को दिया गया ईडीपी – ट्रेनिंग समिति फीडबैक के अनुसार समय पर प्रशिक्षणों की विस्तृत समीक्षा;
(ड.) राज्य संस्थानों की मजबूती के लिए शुरू की जा रहीं गतिविधियां;
(च) नोडल बैंकों सहित सूक्ष्म उद्यमों और समूहों के लिए सब्सिडी का समय पर वितरण ।

(iii) उपर्युक्त अनुमोदन एवं समीक्षा कार्यकलापों के अलावा आईएमईसी निम्नलिखित कार्य भी करेगी:
(क) समीक्षा करना और त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करना;
(ख) अंतर मंत्रालयी सहयोग एवं सम्मिलन की मॉनिटरिंग करना;
(ग) समग्र योजना प्रगति की निरीक्षण करना;
(घ) राज्यों के निष्पादन की जांच करना
(ड.) योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य मामला ।

9.2.2 प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी (पीईसी) :

9.2.2.1 निम्नलिखित संरचना के साथ योजना की नियमित मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में प्रचालन स्तर पर एक प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी (पीईसी) गठित की जाएगी:-

सारणी 2: कार्यकारी समिति की संरचना:

i.	अपर सचिव, खाप्रउमं	चेयनपर्सन
ii.	अपर/संयुक्त सचिव – वाणिज्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्यिकी, एमएसएमई, एमएसडीई, शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग	सदस्य
iii.	एएस एंड एफए, खाप्रउमं	सदस्य
iv.	अपीडा, एमपीडा, निफ्टेम, आईआईएफपीटी, सीएफएफटीआरआई, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), एफएसएसएआई, नाबार्ड के	सदस्य

	प्रतिनिधि	
v.	खाद्य प्रसंस्करण, बैंकिंग/वित्त एवं विपणन में विशेषज्ञ	सदस्य
vi.	साझीदार संस्थानों ट्राईफैड, एनसीडीसी, एनएससीएफडीसी और एसएफएसी के नामिती	सदस्य

9.2.2.2 कार्यकारी समिति महीने में एक बार बैठक करेगी और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

(i) निम्नलिखित का अनुमोदन:

(क) अनुमोदन के लिए आईएमईसी को प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों की जांच करना जिसमें राज्यों, राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के पीआईपीज और राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए 10 लाख रुपए से अधिक के अनुमोदन हेतु परियोजनाएं शामिल हैं ;

(ख) एनपीएमयू की स्थापना;

(ग) योजना के अंतर्गत उन मदों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित करना जिन पर भारत सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा और जिन मदों पर 100% केंद्रीय हिस्से के रूप में परंतु अधिकतम 10 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे;

(घ) व्यक्तिगत लाभार्थियों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में मैचिंग अनुदान का 60% हिस्सा जारी करना;

(ड.) आईईसी प्रस्ताव;

(च) एमआईएस से संबंधित निर्णय ।

(ii) निम्निलखित की समीक्षा:

(क) नोडल बैंकों के साथ सूक्ष्म उद्यमों और समूहों के लिए समय पर सब्सिडी का वितरण और आवश्यकता के समय आईएमईसी को सब्सिडी में वृद्धि;

(iii) उपर्युक्त अनुमोदन एवं समीक्षा कार्यकलापों के अलावा पीईसी निम्नलिखित कार्य भी करेगी:

(क) आईएमईसी द्वारा निर्धारित किए जा रहे वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप योजना के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करना;

(ख) पोर्टल और प्रभावी डेशबोर्ड मॉनिटरिंग के माध्यम से योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग;

(ग) अंतर मंत्रालयी सहयोग ।

9.2.3 क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान समिति:

9.2.3.1 ट्रेनिंग एवं अनुसंधान पहलुओं की जांच करने के लिए राष्ट्र स्तर पर क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान समिति होगी । इस समिति की अध्यक्षता विख्यात उद्योग विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

सारणी 3 : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में ट्रेनिंग समिति की संरचना

i.	उद्योग विशेषज्ञ	चेयरपर्सन
ii.	उप-कुलपत, निफ्टेम/निदेशक, आईआईएफपीटी	सदस्य
iii.	कौशल ट्रेनिंग का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव, खाप्रउमं	सदस्य
iv.	संयुक्त सचिव, एमएसडीई	सदस्य
v.	खाद्य क्षेत्र कौशल परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
vi.	सीएफटीआरआई/डीएफआरएल/संगत आईसीएआर संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
vii.	ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	कार्यक्रम निदेशक, खाप्रउमं द्वारा यथानामित बैंकिंग/वित्त तथा विपणन/ब्रांडिंग में विशेषज्ञ	सदस्य

9.2.3.2 कैपिसिटी बिल्डिंग एवं अनुसंधान समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. निम्नलिखित का अनुमोदन:

(i) योजना के अंतर्गत कैपिसिटी बिल्डिंग एवं अनुसंधान कार्यकलाप चलाने के लिए मार्गदर्शन;

(ii) पीईसी/आईएमईसी से अगले वित्त अनुमोदन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य और जिला एजेंसियों के कैपिसिटी बिल्डिंग कार्यकलापों के प्रस्ताव;

(iii) उद्यमों और समूहों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य एजेंसियों द्वारा दिए जा रहे ट्रेनिंग हेतु कलैण्डर और पाठ्यक्रम;

(iv) उद्यमों के लिए एफयूपीज तथा डीपीआर्स के लिए हैंड-होल्डिंग सहायता मॉड्यूलों के लिए पाठ्यक्रम ।

2. निम्नलिखित की समीक्षा:

i) राष्ट्रीय, राज्य एजेंसियों और जिला रिसोर्स व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किए ट्रेनिंग कलैण्डरों के अनुसार दिए जा रहे ट्रेनिंग ।

9.2.4 राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन उद्योग (एनपीएमयू): राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम प्रबंधन उद्योग होगी जिसमें संविदा के आधार पर नियोजित किए गए पेशेवर व्यक्ति शामिल होंगे । पीएमयू ऊपर सूचीबद्ध किए सभी कार्य संचालित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभाग को पूरी सहायता देगा । एनपीएमयू के विशिष्ट कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) आवश्यक टैम्पप्लेट्स तैयार करना, अध्ययनों तथा पीआईपी को समय से पूरा करने के लिए राज्य पीएमयू तथा एसएनए का बारीकी से समन्वय, संरक्षण और निगरानी करना;

(ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य और जिला एजेंसियों के कार्यकलापों की क्षमता का निर्माण करना तथा ट्रेनिंग समिति एवं पीईसी के समुचित अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना;

(iii) राष्ट्रीय पोर्टल एवं एमआईएस का विकास तथा पोर्टल में सूचना का समय पर प्रवाह सुनिश्चित करना;
(iv) ट्रेनिंग समिति द्वारा आगे की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय, राज्य एजेंसियों तथा जिला रिसोर्स व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किए गए ट्रेनिंग कलैण्डरों के अनुसार दिए जा रहे ट्रेनिंग ;
(v) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों की मजबूती;
(vi) राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से उद्यमों को सब्सिडी का समय से संवितरण;
(vii) अनुमोदन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई डीपीआर का मूल्यांकन;
(viii) समूहों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता का समय से प्रबंध करना;
(ix) एसएनए से ब्रांडिंग और विपणन योजनाओं का समय से प्रस्तुतीकरण;
(x) एसपीएमयू एवं जिला रिसोर्स पर्सन्स की समय से स्थापना ।

9.2.5 नोडल बैंक: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फैसलिटेशन और सब्सिडी के प्रवाह को बैंकों से सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सुचारू बनाने हेतु नोडल बैंक का चयन करेगा । नोडल बैंक के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:-

(i) आवेदनों के लक्ष्य के अनुरूप अनुमोदनों के लिए मॉनिटरिंग करना और बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों और समूहों को सब्सिडी का समय पर संवितरण;
(ii) केंद्र और राज्य सरकारों से ऋणदाता बैंक ब्रांच में लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी का ट्रांसफर ।

9.3 राज्य स्तरीय संरचनाएं:

9.3.1 राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और योजना का प्रचालन राज्य पीएमयू की सहायता से नामित राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा । ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

9.3.2 राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति:

9.3.2.1 राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव अथवा उसके नामिती द्वारा की जाएगी और उसकी संरचना निम्नानुसार होगी:-

i.	मुख्य सचिव	चैयरपर्सन
ii.	वित्त सचिव	सदस्य
iii.	एसीएस/पीआर सचिव/खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्योग, एमएसएमई, मत्स्यिकी, पशुपालन, कौशल विकास के सचिव	सदस्य
iv.	मिशन निदेशक, एसआरएलएम	सदस्य
v.	राज्य स्तरीय संस्थान का प्रतिनिधि	सदस्य
vi.	संस्थान-मुख्य राज्य तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि	सदस्य

vii.	नाबार्ड, एनएसडीसी, एसएलबीसी, एनसीडीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	राज्य सरकार द्वारा यथानामित बैंकिंग/वित्त तथा विपणन/ब्रांडिंग में विशेषज्ञ	सदस्य
ix.	राज्य नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव

9.3.2.2 राज्य सरकार, एसएलसी अथवा डीएलसी में किसी अन्य सदस्यों को नामित कर सकती है ।

9.3.2.3 राज्य सतरीय अनुमोदन समिति निम्नलिखित के अनुमोदन हेतु उत्तरदायी होगी:-

(i) सर्वेक्षण/अध्ययन;

(ii) एसएनए द्वारा प्रस्तुत पीआईपी;

(iii) राज्य एवं जिला अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यकलाप;

(iv राज्य स्तरीय एजेंसियों, उद्यमों के लिए ट्रेनिंग एवं कौशल विकास कैलेण्डर;

(v) राज्य के संस्थानों की मजबूती;

(vi) एमओएफपीआई की सिफारिशों के लिए समूहों हेतु सब्सिडी प्रस्ताव

(vii) सांझा सुविधाओं, समूहों तथा विपणन एवं ब्रांडिंग के उपबंधों हेतु प्रस्ताव;

(viii) समूहों को प्रारंभिक पूंजी;

(ix) एसएलसी को पीआईपी में शामिल विभिन्न कार्यकलापों पर 10 लाख रुपए तक के परियोजना व्यय की स्वीकृति का अधिकार होगा ।

9.3.2.4 उपर्युक्त अनुमोदनों के अलावा, एसएलसी निम्नलिखित कार्यकलाप भी करेगी:-

(i) योजना के समग्र लक्ष्यों की तर्ज पर योजना के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करना ।

(ii) पोर्टल के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करना ।

िकअन्य संबंधित संगठनों के समय सहक्रिया सुनिश्चित करना ।

(iv) योजना के अंतर्गत वित्तपोषित उद्योगों/सीएफसी का निरीक्षण सुनिश्चित करना ।

9.3.3 **राज्य के नोडल विभाग:** प्रत्येक राज्य सरकार को योजना के इम्प्लीमैंटेशन पर निगरानी रखने के लिए सरकार के स्तर पर एक नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए । नोडल विभाग का चयन, राज्य में सूक्ष्म एवं क्लस्टर स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में शमिल विभिन्न विभागों के संख्या बल तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए । राज्य नोडल अधिकारी, सचिव अथवा निदेशक/एचओडी के रैंक का होना चाहिए । संभावित रूप से नोडल विभाग, कृषि अथवा बागवानी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्योग विभाग, एमएसएमई विभाग अथवा ग्रामीण विकास विभाग हो सकते हैं ।

9.3.4 **राज्य नोडल एजेंसी:** प्रत्येक राज्य को एक राज्य नोडल एजेंसी नियुक्त करना चाहिए । राज्य सरकार का एक निदेशालय, मिशन अथवा एक संस्था राज्य नाडल एजेंसी (एसएनए) हो सकती है । एसएनए, योजना के इम्प्लीमैंटेशन के लिए राज्य स्तर पर एक परिचालन एजेंसी होगी । एसएनए की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में निम्लिखित शामिल होंगे:-

(i) विभिन्न अध्ययनों का संचालन करना;
(ii) पीआईपी तैयार करवाना;
(iii) राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों तथा जिला रिसोर्स पर्सन द्वारा किए जा रहे ट्रेनिंग एवं क्षमता निर्माण कार्यकलापों की निगरानी करना;
(iv) राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों की मजबूती;
(v) जिला समितियों द्वारा सब्सिडी प्रस्तावों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना;
(vi) सांझा सुविधाओं के प्रावधानों हेतु योजना का समय से प्रस्तुतीकरना सुनिश्चित करना;
(vii) समूहों के प्रारंभिक पूंजी प्रस्तावों का समय से प्रस्तुीकरण सुनिश्चित करना;
(viii) ब्रांडिंग एवं विपणन प्रस्तावों का विकास करना;
(ix) डीपीआर के लिए रिसार्स पर्सन द्वारा दी जाने वाली हैंड-होल्डिंग सहायता की निगरानी करना;
(x) एसपीएमयू की स्थापना करना;
(xi) जिला रिसोर्स पर्सन को भाड़े पर रखने के लिए निगरानी एवं अनुमोद;
(xii) एमओएफपीआई में निर्धारित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसीज) तथा नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(xiii) आईईसी;
(xiv) बेहतरीन प्रैक्टिसिस को सांझा करना ।

9.3.5 स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू): राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) की नियुक्ति करनी चाहिए । एसपीएमयू की नियुक्ति संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती अथवा एसएनए के स्टाफ में से भर्ती द्वारा की जा सकती है । योजना के कार्य के लिए एसपीएमयू स्टाफ को पूर्वकालिक आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए । एसएनए, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एसपीएमयू के रूप में एक निजी एजेंसी को नियुक्त करने का भी निर्णय ले सकती है ।

9.3.6: एसएसनए के प्रशासनिक व्यय के रूप में योजना के व्यय का 2% दिया जाएगा । एसपीएमयू पर होने वाले व्यय को योजना के अंतर्गत अनुमत्य 2% के प्रशासनिक लागत में से एसएनए द्वारा वहन किया जाएगा ।

9.3.6.1 एसपीएमयू का मुख्य उत्तरदायित्व पैरा 9.3.4. में दर्शाए गए एसएनए के सभी कार्यों में सहायता करना होगा ।

9.3.7 जिला स्तरीय संरचनाएं:

9.3.7.1 जिला स्तरीय समिति: जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक डिट्रिक्ट लेवल कमेटी (डीएलसी) का गठन किया जाएगा । इस समिति में पंचायतों, बैंकों, विषय विशेषज्ञों, शिक्षा जगत, सामुदायिक संस्थानों, एफपीओ/एसएचजी आदि का प्रतिनिधित्व होगा । डीएलसी के सदस्य के रूप में जिला क्लेक्टर किसी अन्य व्यक्ति को सहयोजित कर सकता है । जिला स्तरीय समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

सारणी 5: डीएलसी की संरचना

i.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
ii.	जीएम, डीआईसी, जिला कृषि अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी	सदस्य
iii.	एक ग्राम पंचायत का सरपंच	सदस्य
iv.	एक खंड विकास अधिकारी	सदस्य
v.	जिले के मुख्य बैंक का प्रबंधक	सदस्य
vi.	एसएचजी/एफपीओ के प्रतिनिधि	सदस्य
vii.	नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	एसआरएलएम के जिला प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	कलेस्टर द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	सदस्य

9.3.7.2 डीएलसी निम्नलिखित के लिए जबावदेह होगी:

(i) एकल सूक्ष्म उद्यमों को ऋण एवं सब्सिडी के आवेदनों का अनुमोदन;
(ii) एसएनए के कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं समूहों हेतु आवेदनों की अनुशंसा करना;
(iii) जिला रिसोर्स पर्सन द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को दी जाने वाली हैंड-होल्डिंग सहायता की निगरानी करना;
(iv) पोर्टल तथा प्रभावी डेसबोर्ड निगरानी के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करना;
(v) सभी संबंधित संस्थानों के साथ सहक्रिया सुनिश्चित करना।

9.3.8 रिसोर्स पर्सन्स:

9.3.8.1 जिला/क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हैंड-होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए एसएनए द्वारा रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया जाना चाहिए ।

9.3.8.2 आरपीज के पास निम्नलिखित योग्याताएं होनी चाहिए:

(i) ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री;
(ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का 3-5 वर्ष का अनुभव;

(iii) यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैंकिंग/डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है ।

9.3.8.3 रिसोर्स पर्सन, एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैंड-होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे ।

9.3.8.4 प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्वीकृति के उपरांत किया जाएगा । प्रत्येक रिसोर्स पर्सन को प्रति बैंक ऋण स्वीकृति के 20,000 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा । 50% का भुगतान बैंक से ऋण की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा और शेष 50% का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्प्लीमैंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा ।

9.3.9 राज्य नोडल विभाग को आवेदनों के प्रवाह तथा अनुमोदन प्रक्रिया और योजना के अंतर्गत सहायता के संबंध में निर्णय लेना चाहिए । उन्हें निम्नलिखित के लिए डीएलसी, एसएनए तथा राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों की अपनी-अपनी भूमिकाएं तय करनी चाहिए:

(i) व्यक्तिगत आवेदन की संक्षिप्त सूची के लिए अनुमोदन का स्तर;
(ii) राज्य स्तर के भीतर समूहों के आवेदन के प्रवाह और सांझा इंफ्रास्ट्रक्टचर;
(iii) डीएलसी, एसएनए तथा राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के बीच ट्रेनिंग तथा क्षमता निर्माण कार्यकलापों तथा निर्णय लेने;
(iv) राज्य के भीतर आवेदनों के प्रवाह तथा सहायता की प्रक्रिया से संबंधित यह निर्णय दिशानिर्देशों में निर्धारित एजेंसियों की भूमिकाओं की परवाह किए बिना लागू होंगे ।

9.3.10 अभिसरण के लिए भागीदारी संस्थान:

9.3.10.1 इस योजना में एससी/एसटी, महिलाओं, आकांक्षी जिलों, एफपीओज, एसएचजी तथा उत्पादक सहकारिताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है । इन क्षेत्रों में निम्नलिखित संगठन कार्य करते रहे हैं:-

(क) ट्राईफैड;
(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास वित्त निगम;
(ग) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम;
(घ) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ;
(ड.) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ।

9.3.10.2 उपर्युक्त संस्थान क्रमश: एसटीज,एससीज, सहकारिताओं, एफपीओज तथा एसएचजी की उद्योगों/क्लस्टरों के चिह्निकरण को सुविधाजनक बनाते हुए अपने कार्यकलापों का अभिसरण कर सकते हैं । उन्हें योजना के अंतर्गत इन संस्थानों के वित्त-पोषण तथा विकास के लिए डीपीआर एवं प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता करनी चाहिए और इस प्रकार के प्रस्तावों को राज्य पीआईपी तक पहुंचाना चाहिए । उन्हें इस प्रकार सहायता प्राप्त उद्योगों को हैंड-होल्डिंग सेवाएं भी प्रदान करनी चाहिए और इस प्रयास में राज्यों के साथ कार्य करना चाहिए । प्रत्येक भागीदार संस्थान पीईसी का सदस्य होगा ।

10.0 अध्ययन एवं रिपोर्टें:

10.1 स्टेट लेवल अपग्रेडेशन प्लान (एसएलयूपी): एसएनए को एक राज्य स्तरीय उन्नयन योजना (एसएलयूपी) संचालित करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित दो अवयव होंगे:

10.1.1 बेस-लाइन आंकलन: बेस-लाइन अध्ययन में ओडीओपी की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए । यह अध्ययन प्रत्येक राज्य में 31 जुलाई, 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए । इस अध्ययन के लिए राज्यों को 2.5-10.0 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

10.1.2 राज्य स्तरीय उन्नयन योजना: एक बार जब ओडीओपी के संबंध में निर्णय हो जाता है तब जिले में उस उत्पाद का प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों की संख्या, खेत स्तर के प्रचालनों, कुल मात्रा तथा उपज का मूल्य, प्रौद्योगिकी, खेत स्तर के प्रसंस्करण, स्टोरेज, गोदाम, प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या तथा उनका ब्यौरा देते हुए राज्यों में अध्ययन कराया जाना चाहिए । यह अध्ययन 31 दिसम्बर, 2020 तक संचालित हो जाना चाहिए । उपर्युक्त अध्ययन के लिए राज्यों को दी जानी वाली राशि 10.0-75.0 लाख रुपए होगी । उपर्युक्त अध्ययन के टर्म्स आफ रिफरेंस (टीओआर) यथा निर्धारित होंगे ।

10.2 एफपीओ/उत्पादक सहकारिताओं/एसएचजी का अध्ययन: उपर्युक्त अध्ययन के समानांतर एसएनए को एनसीडीसी, एसएफएसी, ट्राईफैड, एनएससीएफडीसी तथा एसआरएलएम के समन्वय में राज्यों में एसएचजी, उत्पादक सहकारिताओं, एफपीओ के संचालन से संबंधित आंकड़ें एकत्र किए जाने चाहिए ।

10.3 जब राज्य स्तरीय उन्नयन योजना में परिकल्पित इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सुविधाओं का अध्ययन कार्य पूरा हो जाए तब उन जिलों में ओडीओपी के लिए आगे की कार्रवाई हेतु अन्य अध्ययन कराया जाना चाहिए । एसएनए द्वारा संचालित किए जाने वाले किसी अन्य अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान में अध्ययन का प्रस्ताव शामिल होना चाहिए और उसे लागत अनुमानों के साथ अनुमोदन हेतु एमओएफपीआई में भेजा जाना चाहिए ।

11.0 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी):

11.1 प्रत्येक राज्य को वर्ष भर के लिए पिछले वर्ष के जनवरी महीने में एक पीआईपी तैयार करके अनुमोदन हेतु उस वर्ष के 31 जनवरी तक एमओएफपीआई में भेज देना चाहिए । पीआईपी को अनुमोदन के लिए अंतर मंत्रालयी अधिकारी प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए । राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति को एमओएफपीआई में पीआईपी की संस्तुति करनी चाहिए । एमओएफपीआई को पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च तक पीआईपी का अनुमोदन कर देना चाहिए । वर्ष 2020-21 में पीआईपीज को अनुमोदन हेतु राज्यों द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक एमओएफपीआई में भेजा जाना चाहिए ।

11.2 पीआईपीज में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होने चाहिए:

- (i) राज्यों में नियुक्त की गई एजेंसियों तथा चुने गए संस्थानों आदि समेत कार्यक्रम के लिए इम्प्लीमेंटेशन व्यवस्था;
- (ii) नियुक्त किए गए अधिकारियों सहित राज्य नोडल एजेंसी का ब्यौरा;
- (iii) एसएलएसी/डीएलसी की संरचना;
- (iv) एसपीएमयू की स्थापना तथा जनशक्ति के लिए ब्यौरा एवं योजना;
- (v) जिला रिसोर्स पर्सन को भाड़े पर रखने का ब्यौरा एवं योजना;
- ्यौराज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान का ब्यौरा;
- (vii) वर्ष के लिए योजना दिशानिर्देशों के साथ यथा-संरेखित योजनाबद्ध कार्यकलाप;
  - (क) योजनाबद्ध अध्ययनों का ब्यौरा और उनके पूर्ण होने की समय-सीमा;
  - (ख) विभिन्न संस्थानों के लिए स्पष्ट भूमिका मैट्रिक्स सहित वर्ष भर के लिए योजनाबद्ध ट्रेनिंग का ब्यौरा ;
  - (ग) सब्सिडी संवितरण हेतु व्यापक लक्ष्य और समूह तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के उद्यमों की संख्या;
  - (घ) क्लस्टरों की जिला-वार विस्तृत सूची;
  - (ड.) कार्यक्रम में भावी पणधारी के रूप में चिह्नित, राज्य में एसएचजी/एफपीओ/सहकारिताओं को सूचीबद्ध करना;
  - (च) उत्पादों के लिए ब्रांडिंग एवं विपणन योजनाओं का सार ।
- (viii) वर्ष भर के लिए सभी कार्यकलापों के लिए लागत अनुमानों और बजट का ब्यौरा;
- (ix) योजनाबद्ध कार्यकलापों के संचालन का विस्तृत फ्लो-चार्ट;
- (x) प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित स्पष्ट भूमिकाओं सहित पणधारी का मैट्रिक्स ।

11.3 पीआईपी एक योजना एवं बजट से संबंधित कार्य है । पीआईपी के अनुमोदन के उपरांत राज्यों की शक्तियों के प्रत्योजन के अध्यधीन राज्यों को मदों के लिए व्यय शुरू करना चाहिए ।

11.4 राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति को अकेले मदों के लिए 10 लाख रुपए तक के व्यय की स्वीकृति का अधिकार है और 10 लाख रुपए से अधिक के व्यय वाले प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु एमओएफपीआई में भेजा जाना चाहिए । इसमें, 10 लाख रुपए से अधिक के अनुदान वाली परियोजनाओं के डीपीआर्स और राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों पर होने वाला व्यय जो 10 लाख रुपए से अधिक हो शामिल है ।

11.5 निफ्टेम तथा आईआईएफपीटी के मामले में, उनके पीआईपी के अनुमोदन के पश्चात 10 लाख रुपए तक का व्यय करने के लिए संगठन के भीतर शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन का उपयोग किया जाना चाहिए । 10 लाख रुपए से अधिक के व्यय के किसी भी प्रस्तावों को एक विशिष्ट प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन हेतु एमओएफपीआई में भेजा जाना चाहिए ।

12.0 निधियों का संवितरण:

12.1 केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के निम्नानुसार साझीदारी वाली यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है:-

(i) केंद्र-राज्य के बीच 60:40 का हिस्सा;
(ii) केंद्र तथा हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90:10 की हिस्सेदारी;
(iii) विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्यों के बीच 60:40 की हिस्सेदारी;
(iv) बगैर विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

12.2 केंद्र सरकार निम्नलिखित घटकों के लिए 100% राशि उपलब्ध कराएगी:

(i) क्षमता निर्माण एवं ट्रेनिंग ;
(ii) एमओएफपीआई के लिए राष्ट्रीय पीएमयू की प्रशासनिक लागत;
(iii) राष्ट्रीय स्तर पर ऑडियो-विजुअल, प्रिंट सामग्री के विकास तथा मॉड्यूलों आदि के विकास हेतु ट्रेनिंग सहायता;
(iv) एमआईएस;
(v) प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों आदि के विकास;
(vi) राष्ट्रीय स्तर के भागीदार संस्थानों को सहायता;
(vii) राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप;
(viii) भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय का 100% एमओएफपीआई द्वारा वहन किया जाएगा ।

12.3 प्रथम वर्ष में किए गए व्यय का 100% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा चाहे वह केंद्र अथवा राज्य द्वारा किया गया हो । ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह योजना राज्य के बजट के अनुमोदन के पश्चात शुरू की गई है । इसलिए, राज्य अनुपूरक बजट का अनुमोदन हो जाने पर ही वित्त पोषण

करने में सक्षम हो पाएंगे । प्रथम वर्ष में किए गए व्यय का समायोजन 60:40 के अनुपात में अगल चार वर्षों में राज्यों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि में से बराबर रूप से किया जाएगा ।

12.4 अनुमोदित पीआईपी के आधार पर पूर्व में जारी की गई राशि के अलावा किस्तों के उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) के बाद राज्यों को वर्ष में राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा । वर्ष 2020-21 में की गई निधियों के हस्तांतरण के लिए इस प्रकार की यूसी की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

12.5 पीएमयू, अध्ययन तथा ट्रेनिंग पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को वर्ष 2020-21 की दूसरी/तीसरी तिमाही में अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा । तत्पश्चात, पीआईपी के अनुमोदन के पश्चात राज्यों को वर्ष 2020-21 के पूरे वर्ष के लिए निधियां एक ही किस्त में दे दी जाएंगी ।

12.6 अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए आवंटन ।

12.6.1 योजना के अंतर्गत बजट आवंटनों में एससी/एसटी तथा एनईआर के लिए विशिष्ट आवंटन किए जाएंगे । ये निधियां राज्यों को एससी/एसटी की जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाएंगी । इस प्रकार के एससी/एसटी आवंटनों का उपयोग केवल एससी/एसटी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योगों के लिए ही किया जा सकेगा । समूहों के मामले में इस प्रकार की निधि का उपयोग केवल तभी किया जा सकेगा जब समूह के 50% से अधिक सदस्य एससी/एसटी समुदाय के हों । पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में योजना के अंतर्गत आवंटन, इस प्रकार के राज्यों में इन निधियों के उपयोग हेतु बनाए गए मानदंडों के अनुपालन के लिए किया जाएगा ।

13.0 क्रेडिट लिंकेज:

13.1 योजना के अंतर्गत मुख्य व्यय 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान है । इसके अलावा, क्रेडिट लिंक्ड अनुदान समूहों को पूंजी निवेश के लिए 35% की दर से, सांझा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 35% की दर से दिया जा रहा है । ये अनुदान बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति दिए जाने के पश्चात उधारकर्ता बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे ।

13.2 राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को सब्सिडी के संवितरण तथा बैंकों के साथ संपर्क के लिए एक नोडल बैंक की नियुक्ति की जाएगी ।

13.3 ऋण की स्वीकृति देने वाला बैंक लाभार्थी के नाम से एक माइनर एकाउंट खोलेगा । उधारकर्ता बैंक ऋण की स्वीकृति से संबंधित तथ्य को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल बैंक को सूचित करेगा । इस सूचना की प्राप्ति के उपरांत, केंद्र और राज्य सरकार को अनुदान के अपने क्रमश: 60% और 40% हिस्से को नोडल

बैंक में ट्रांसफर करना चाहिए । नोडल बैंक अनुदान के केंद्र के 60% हिस्से और राज्य के 40% हिस्से को एक साथ संबंधित ऋणदाता बैंक शाखा में ट्रांसफर करेगा । वह बैंक शाखा को इस राशि को लाभार्थी के माइनर बैंक खाते में रखना चाहिए । ऋणदाता बैंक को लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता के लिए सांझा सामान्य बैंकिंग पद्धति के अनुरूप स्वीकृत ऋण राशि वितरित करनी चाहिए ।

13.4 यदि ऋण के अंतिम हिस्से के वितरण के बाद तीन वर्षों की अवधि के पश्चात, लाभार्थी का खाता अभी भी स्टैंडर्ड हो और उद्योग प्रचालनशील हो तो अनुदान की यह राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी । यदि खात ऋण की वितरण तारीख से तीन वर्ष से पहले एनपीए हो जाता है तो अनुदान की राशि बैंक द्वारा लाभार्थी द्वारा किए गए भुगतान के प्रति समायोजित की जाएगी । खाता स्टैंडर्ड होने के मामले में अनुदान राशि ऋण की राशि के मुकाबले 3 वर्षों के पश्चात समायोजित की जाती है तो उधारकर्ता द्वारा उधारी बैंक द्वारा अनुदान राशि की प्राप्ति की तारीख से इसकी राशि के बराबर बैंक द्वारा वितरित किए गए ऋण के हिस्से पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा ।

13.5 इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ता को क्रेडिट गारंटी सीमा का लाभ दिए गए ऋणों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी की अपनी सामान्य शर्तों एवं निबंधनों के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत दिया जाएगा । एमएसएमई वृद्धि क्रेडिट ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत उधारकर्ता को जमा शेष पर 2% का ब्याज अनुदान भी उपलब्ध होगा ।

13.6 एसएनए यह सुनिश्चित करे कि आवेदन बैंकों को नियमित तौर पर अग्रेषित किए जाते रहें न कि मासिक अथवा तिमाही के आधार पर एक साथ समूह के रूप में भेजे जाएं ।

13.7 प्रस्ताव आवेदक के मूल केवाईसी के साथ बैंक शाखाओं को भेजे जाने चाहिए । कार्रवाई समय को न्यूनतम करने के लिए ऋण आवेदनों के लिए अपेक्षित दस्तावेजों जैसे उद्योग/मशीनरी की स्थापना करने के लिए भूमि के लीज/स्वामित्व दस्तावेज, पंजीकरण एवं अनिवार्य सरकारी स्वीकृतियों के साथ बैंकों को भेजे जाने चाहिए । आवेदनों में पूरा प्रोजेक्ट डिटेल होना चाहिए और डीपीआर लोकल्टी की आर्थिक व्यावहारिकता के अनुरूप होनी चाहिए । परियोजना की लागत इसकी आर्थिक व्यावहारिकता के उचित मूल्यांकन के आधार पर यथापूर्ण आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए ।

14.0 एमआईएस:

14.1 इस योजना की निगरानी की जाएगी और आंकड़ों का संपूण प्रवाह तथा प्रस्तावों के अनुमोदन आदि का कार्य एक ऑनलाइन तंत्र से किया जाएगा । इस उद्देश्य से एमओएफपीआई द्वारा एक एमआईएस का विकास किया जाएगा । एमआईएस पर फ्लो/अनुमोदन से संबंधित निम्नलिखित सूचना होगी:-

(i) राज्यों द्वारा पीआईपी के लिए भेजे गए प्रस्ताव और एमओएफपीआई द्वारा किए जाने वाले किन्हीं परिवर्तनों सहित उनका अनुमोदन;
(ii) राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संस्थानों द्वारा पीआईपी के लिए भेजे गए प्रस्ताव और किन्हीं परिवर्तनों सहित उनका अनुमोदन;
(iii) व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों द्वारा प्रस्तुत किए गए ऋण के आवेदन;
(iv) डीपीआर को अपलोड करना और दी गई हैंड-होल्डिंग सहायता का ब्यौरा;
(v) व्यक्तिगत उद्योगों को दी गई ट्रेनिंग सहायता का ब्यौरा;
(vi) बैंकों में अग्रेषित किए गए ऋण के प्रस्ताव;
(vii) बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति के ब्यौरे को अपलोड करना;
(viii) समूहों सहित किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी को किया गया कोई भुगतान और खातों का रख-रखाव;
(ix) ट्रेनिंग तथा हैंड-होल्डिंग के संबंध में समूहों अथवा व्यक्तिगत रूप से दी गई कोई सहायता;
(x) योजना के अंतर्गत चुन हुए किसी व्यक्ति अथवा समूह के लिए एक लेजर होना चाहिए । इस लेजर में व्यक्ति अथवा समूह को दी गई सभी प्रकार की सहायता का ब्यौरा, उनके आर्थिककलापों का ब्यौरा तथा ऋण के संवितरण आदि का ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए;
(xi) योजना के अंतर्गत एसएनए/एमओएफपीआई द्वारा किसी संस्था को किए गए सभी भुगतानों की प्रविष्टि एमआईएस में होनी चाहिए । योजना के अंतर्गत शुरू किए गए सभी कार्यकलापों की प्रविष्टि एमआईएस में की जानी चाहिए;
(xii) एमओएफपीआई एमआईएस का विकास करेगा । इसके विकास, रख-रखाव तथा निगरानी पर होने वाला सभी प्रकार का व्यय योजना के अंतर्गत एमओएफपीआई द्वारा किया जाएगा ।

15.0 विशेषज्ञ संस्थानों की सूची बनाना:

15.1 विपणन, अनुसंधान, उत्पाद विकास, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग तथा हैंड-होल्डिंग सहायता आदि में विशेषज्ञता रखने वाले कई सरकारी एवं निजी संस्थान मौजूद हैं । एमओएफपीआई इन प्रत्येक कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों की सूची तैयार करेगा जिनकी सेवाओं को राज्यों द्वारा उपयोग में लाया जा सके । सूची बनाने का यह कार्य, क्षेत्र में विशेषज्ञता के मूल्यांकन हेतु एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा । इन सूचीबद्ध संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करने के पश्चात राज्यों द्वारा इन्हें कार्य सौंपा जाना चाहिए ।

16.0 अभिसरण फ्रेमवर्क:

16.1 योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्यम निम्नलिखित सरकारी स्कीमों के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे:-

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी, ट्रेनिंग , हैंड-होल्डिंग सहायता तथा ब्याज सहायता दे रहा है;

(ii) स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) – यह एक केंद्र प्रायोजित योजना और एनआरएलएम का हिस्सा है । इसमें, 12% के ब्याज पर व्यक्तिगत उद्यमी के लिए 1 लाख रुपए तक और उद्यमी समूहों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण के रूप में सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) के माध्यम से ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को ट्रेनिंग , हैंड-होल्डिंग तथा सहायता द्वारा पूंजी एवं तकनीकी सहायता दी जाती है;

(iii) एमएसएमई को अधिक ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना 2018 – बकाया राशि पर ब्याज सहायता;

(iv) 2 करोड़ रुपए तक के संपार्श्विक मुफ्त ऋण हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड;

(v) 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना;

(vi) नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता संवर्धन योजना (एएसपीआईआरई);

(vii) ग्रामीण उद्योग पुनरूद्धार निधि योजना (एसएफयूआरटीआई);

(viii) एमएसईज के लिए सार्वजनिक खरीद नीति;

(ix) क्लस्टरों/समूहों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एमओएफपीआई की अन्य स्कीमों जैसे कि बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजिज, कृषि उत्पादन क्लस्टर तथा कोल्ड चेन आदि के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का उपयोग किया जाएगा;

(x) एसएचजी के कौशल ट्रेनिंग हेतु यदि दिशानिर्देशों के अंतर्गत आते होंगे तो पीएमकेवीवाई तथा एनआरएलएम से सहायता ली जाएगी । लघु अवधि के स्थल ट्रेनिंग हेतु, इस उद्देश्य से जरूरत के मुताबिक बनाए गए एनआरएलएम और पीएम एफएमई योजना से सहायता प्रदान की जाएगी ।

*****

सत्यमेव जयते

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

Follow us on : MOFPIIndia MOFPI_GOI

SHARAD